समाहरणालय, समस्तीपुर
(जिला नजारत प्रशाखा)

सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–597, दिनांक–14.01.2020 के आलोक में जिला अतिथिगृह, समस्तीपुर के भोजन, नाश्ता, चाय आदि व्यवस्था के लिए आउटसोर्सिंग हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :–

1. चयनित एजेन्सी को जिला अतिथिगृह, समस्तीपुर के ग्यारह कमरों एवं दो एनेक्सी भवन में आवासित अतिथियों के भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 03 (तीन) रसोईया (इण्डियन डिश एवं अन्य), 03 (तीन) वेटर, 02 (दो) किचन सफाई हेतु एवं 01 (एक) मैनेजर (फूड) के रूप में अनुभवी व्यक्तियों को रखना होगा एवं सभी तरह के कर्मियों के लिए अलग–अलग यूनीफॉर्म देना होगा। यूनीफार्म का रंग अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा तय किया जायेगा।
2. भोजन व्यवस्था में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे जिसे चयनित एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा।
   (क) जिला अतिथि गृह में ठहरने वाले अतिथियों को आवश्यकतानुसार अच्छी क्वालिटी का ताजा एवं शुद्ध खाद्य सामग्री ससमय उपलब्ध कराना होगा।
   (ख) भोजनादि आपूर्ति के पश्चात् आवश्यकतानुसार सभी कमरों आदि की सफाई ससमय करानी होगी।
   (ग) खाद्य सामग्री/पेय सामग्री आपूर्ति हेतु अच्छी क्वालिटी का उपयुक्त बर्तनों/क्रॉकरी/टी–सेट आदि का उपयोग करना होगा।
   (घ) खाद्य/पेयजल सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच समय–समय पर खाद्य निरीक्षक द्वारा की जायेगी। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर समानुपातिक रूप से विपत्र की राशि में कटौती की जायेगी अथवा आवश्यकता समझे जाने पर उक्त विपत्र की राशि का भुगतान अस्वीकार किया जायेगा।
   (ड.) अतिथियों को खाद्य/पेय सामग्री का मीनू चार्ट उपलब्ध कराना होगा।
   (च) शुद्ध पेयजल हेतु आर०ओ० का रख–रखाव एवं मरम्मति कार्य करना होगा।
   (छ) अतिथियों की अधिकता/भीड़–भाड़ हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।
   (ज) फर्स्ट एड किट एवं फीडबैक रजिस्टर उपलब्ध रखना होगा।
   (झ) सभी कर्मी अनुशासित, व्यवहार कुशल होना चाहिए साथ ही उन्हें समय प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा।
3. अतिथियों के लिए चाय, नाश्ता एवं भोजन आदि की सरकार द्वारा निर्धारित दर पर व्यवस्था करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था (व्यवसायिक गैस सहित) करना होगा।
4. उपर्युक्त कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग कम्पनी/संस्था के द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा हेतु दो अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में निम्न कागजात संलग्न किया जाना आवश्यक होगा । लिफाफा के उपर **"जिला अतिथिगृह भोजन व्यवस्था"** लिखना अनिवार्य होगा :–
   (i) अग्रधन के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रूपया मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से मूल में संलग्न करना आवश्यक होगा।
   (ii) निविदादाता के संस्था या फर्म का विगत तीन वर्षों का आयकर रिर्टन, अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन, आयकर से संबंधित पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं GST निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। संस्था या फर्म का उद्योग विभाग अथवा श्रम विभाग अथवा निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय का निबंधन का निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा। संबंधित संस्था/व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओवर 40,00,000.00 (चालीस लाख) रूपया एवं विगत तीन वर्षों में न्यूनतम 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रूपया की अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) निविदादाता को बिहार के किसी सर्किट हाउस/सरकारी राजकीय अतिथिशाला/सरकारी आवासीय प्रतिष्ठान का भोजन व्यवस्था कार्य करने का अनुभव होने के साथ-साथ अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा अलग लिफाफे जिसमें निम्न शर्तों के साथ दर अंकित होगा –

सेवा देने वाले कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान कुशल/अर्द्धकुशल/अतिकुशल श्रमिकों के संबंध में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत की जाने वाली अधिसूचना में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

निविदादाता को जिला अतिथिगृह के भोजन व्यवस्था हेतु रखे गये श्रमिकों तथा अन्य पर होने वाले व्यय सहित एक मुश्त मासिक दर (कर सहित) वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा।

1. अतिथि गृह में भोजन, चाय आदि से होने वाली आय संचालन संस्था को दी जाएगी।
2. जिला प्रशासन की ओर से केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा जो संचालन व्यवस्था की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करेगा।
3. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
4. कर्मियों के यूनिफार्म में नहीं पाये जाने पर मासिक विपत्र में समुचित राशि की कटौती कर ली जाएगी।
5. निविदा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में दिनांक-20.07.2021 को 02:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन अपराह्न 03 बजे क्रय समिति के समक्ष तकनीकी निविदा खोला जायेगा। तकनीकी निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति दिनांक-22.07.2021 को 02:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा। दिनांक-10.07.2021 को 02:00 बजे अपराह्न में निविदा से संबंधित कार्यों/सेवाओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु निविदा के इच्छुक व्यक्तियों के साथ Pre bid meeting का आयोजन किया जायेगा।

   तत्पश्चात् वित्तीय निविदा दिनांक-23.07.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी वांछित कागजातों/प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे।
6. न्यूनतम मासिक दर वाले निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने तथा आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिला अतिथिगृह समस्तीपुर को सुचारू रूप से भोजन व्यवस्था का कार्य प्रारंभ कर देना होगा।
7. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को साक्षात्कार एवं जिला अतिथिगृह/सरकारी राजकीय अतिथिशाला/सरकारी आवासीय प्रतिष्ठान में भोजन व्यवस्था कार्य करने के अनुभव के आधार पर चयनित किया जाएगा। चयन का आधार निम्नवत् होगा :-

50 अंक वित्तीय निविदा के आधार पर		50 अंक साक्षात्कार/अनुभव के आधार पर
1. L1	- 50 Marks	अनुभव – 20 अंक
2. Upto 10% above L1	- 40 Marks	भोजन की गुणवत्ता पर – 30 अंक
3. Upto 20% above L1	- 30 Marks	(भोजन की गुणवत्ता की जाँच हेतु जिला
4. Upto 30% above L1	- 20 Marks	अतिथिगृह, समस्तीपुर में भोजन आदि बनाकर
5. More than 30% above L1	- 0 Marks	कमिटि के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा)

8. स्थानीय एजेन्सी/संस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा।
9. निविदादाता एवं उनके कर्मियों/श्रमिकों के लिए जिला पुलिस से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट www.samastipur.nic.in/www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,